B.sc(N)

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
फोन : 0522 – 2238846, +91–9151024463
Website:www.upsmfac.org Email-affiliation@upsmfac.org

पत्रांक संख्या– 2160/22

दिनांक 10/03/2022

सेवा में,

प्रबन्धक,
इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस,
मंगलायतन विश्वविद्यालय,
एक्सटेन्डेड एन0सी0आर0 33 आर0डी0 माइल स्टोन,
अलीगढ़ मथुरा राजमार्ग, विसवाँ, अलीगढ़

विषय– उ0प्र0 शासन द्वारा अनिवार्यता/अनापत्ति निर्गत होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण प्रारम्भ करने एवं अनुमति/सम्बद्धता प्रदान करने हेतु द्वितीय निरीक्षण कराये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–33/71–4–2022–एन–4/2017टी0सी0 दिनॉक 08 मार्च, 2022 (छायाप्रति) के द्वारा आपके संस्थान को बी0एससी0 नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में 40 सीट हेतु अनापत्ति/अनिवार्यता, प्रमाण–पत्र में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशानुसार बी0एससी0 नर्सिंग प्रशिक्षण में छात्रों का प्रवेश लेने से पूर्व उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा द्वितीय निरीक्षण किया जाना है, इस हेतु रू0 1,00,000+18,000=1,18,000/–(जी0एस0टी0 सहित) **डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी** के पक्ष में बनवाकर भेजने का कष्ट करें। जिससे कि आपके संस्थान में कार्यरत टीचिंग फैकल्टी एवं क्लीनिकल सुविधाओं का निरीक्षण कराकर अर्ह पाये जाने की दशा में छात्रों के प्रवेश लेने हेतु अनुमति/सम्बद्धता पत्र जारी किया जा सके।

अनुमति/सम्बद्धता पत्र जारी होने से पहले किसी भी दशा में छात्रों का उक्त प्रशिक्षण में प्रवेश न लिया जाये। उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही अनुमति पत्र/सम्बद्धता पत्र जारी किया जायेगा।

भवदीय,

सचिव
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

Prof (Dr.) Venkata V.P.R.P.
Director (Medical & Compliances)
Mangalayatan University, Beswan Aligarh

Scanned with CamSc

B.Sc(N)

संख्या– 33 /71–4–2022–एन–4/2017टी0सी0

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

लखनऊ : दिनांक 08 ~~फ़रवरी~~ मार्च, 2022

विषय:– आचार्य कुण्ड कुण्ड एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, मंगलायतन विश्वविद्यालय, एक्सटेन्डेड एन0सी0आर0 33 आर0डी0 माइल स्टोन, अलीगढ़ मथुरा राजमार्ग, विसवॉं, अलीगढ़ में बी0एससी0–नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1/22, दिनांक 03.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त आचार्य कुण्ड कुण्ड एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, मंगलायतन विश्वविद्यालय, एक्सटेन्डेड एन0सी0आर0 33 आर0डी0 माइल स्टोन, अलीगढ़ मथुरा राजमार्ग, विसवॉं, अलीगढ़ में बी0एससी0–नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में 40 सीट प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(1) संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जायेगी।
(2) इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
(3) संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–4447/71–3–05–141/05 दिनांक 14.10.2005 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 15.01.2007 तथा 23.01.2008 में निहित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा एक नीति बनाकर मानकों के अनुपालन हेतु संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा–निर्देशों/मानकों का उल्लंघन करने पर संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 33 (1)/71–4–2022–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्धक, आचार्य कुण्ड कुण्ड एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, मंगलायतन विश्वविद्यालय, एक्सटेन्डेड एन0सी0आर0 33 आर0डी0 माइल स्टोन, अलीगढ़ मथुरा राजमार्ग, विसवॉं, अलीगढ़।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

स्टेट मेडि0 फै0 एवं कौ0
डाक प्राप्ति संख्या 4278/22
दिनांक: 09/03/2022
समय:

Prof (Dr.) Venkata V.P.R.P.
Director (Medical & Compliances)
Mangalayatan University

Scanned with CamSc

1466

GNM

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
फोन : 0522 – 2235964, 2235965
Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–10496/21 दिनांक 28/12/2021

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइन्सेस,
मंगलयातन यूनिवर्सिटी एक्टेन्डेड एन0सी0आर0
33 आर0डी0 माइलस्टोन, अलीगढ़–मथुरा हाइवे,
बेसवां, अलीगढ़ ।

विषय–इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइन्सेस, मंगलयातन यूनिवर्सिटी एक्टेन्डेड एन0सी0आर0 33 आर0डी0 माइलस्टोन, अलीगढ़–मथुरा हाइवे, बेसवां, अलीगढ में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या– 837/71–4–2021–एन–8/2016 दिनॉक 18 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्गत अनापित्त/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तथा इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 07.12.2021 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण में 40 प्रशिक्षुओं प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु निम्नलिखित निर्देशों के साथ मान्यता/सम्बद्वता प्रदान की जाती है। यह मान्यता/सम्बद्वता संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर दी जा रही है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छदम प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

1. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।
2. प्रवेश क्षमता 40 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं जी0एन0एम0 प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी, जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (अंग्रेजी विषय अनिवार्य) न्यूनतम 40 % के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 31 दिसम्बर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। निर्धारित भर्ती

Prof (Dr.) Venkata V.P.R P
Director (Medical & Compliance)
Mangalayatan University Beswan Aligarh

Scanned with CamSc

GNM

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
फोन : 0522 – 2235964, 2235965
Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–.................... दिनांक ....

क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।

3. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

4. समय–समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

5. प्रवेश हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6. जी0एन0एम0 प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

7. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग टयूटर्स के नामों की सूची शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

8. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही कराई जायेगी।

9. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 4,500/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,500/– प्रतिमाह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।

10. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके और इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली को भेजी जा सके।

Prof (Dr.) Venkata V.P.R.P.
Director (Medical & Complian...
Mangalayatan University Beswan Aligarh

Scanned with CamSc

GNM

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
फोन : 0522 – 2235964, 2235965
Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–.................... दिनांक ....

11. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्रों का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।
12. प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आनलाइन इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर प्रत्येक वर्ष कार्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक अवश्य किया जाना अनिवार्य है।
13. प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 60,000/– **(रू.1,500/– प्रति छात्र की दर से)** 40 अभ्यर्थियों का इस कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

पत्र संख्या– दिनाँक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

Prof (Dr.) Venkata V.P.R.P.
Director (Medical & Compliance)
Mangalayatan University

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 3025/22 दिनांक 01/04/2022

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस,
मंगलायतन विश्वविद्यालय, एक्सटेन्डेड एन0सी0आर0
33 आर0डी0 माइल स्टोन, अलीगढ़ मथुरा राजमार्ग, विसवॉं, अलीगढ।

विषय–बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 40 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–33/71–4–2022–एन–4/2017टी0सी0 दिनॉक 08 मार्च, 2022 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 30.03.2022 के आधार पर बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एससी0–नर्सिंग) की 40 सीट का प्रशिक्षण संचालित किये जाने हेतु अनुमति शासनादेश में वर्णित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त प्रशिक्षण को संचालित करने की अनुमति संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः आचार्य कुण्ड कुण्ड एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, मंगलायतन विश्वविद्यालय, एक्सटेन्डेड एन0सी0आर0 33 आर0डी0 माइल स्टोन, अलीगढ मथुरा राजमार्ग, विसवॉं, अलीगढ़ के प्रशिक्षण केन्द्र में 40 सीट प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 35,000+18% GST इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या–
दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. रजिस्ट्रार, मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ उ0प्र0–202145